

परियोजना का नाम :-

पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत फेज -11 नौला से थिरौली
मोटर मार्ग। लम्बाई 105किमी।

वन विभाग द्वारा निर्धारित मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौति सिविल/आरक्षित सिविल सोयम भूमिकर्ता रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल उचित प्रयोजन हेतु ही जिला योजना अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग की किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा। जिससे याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि का तीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का उत्तराचल तथा संभाव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सभव होगा, परन्तु प्रतिवर्श यह होना कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों/पी.ओ एवं विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वनभूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रस्तावित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा० नि० वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा० नि० वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 री० दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी सा० नि० वि० द्वारा किया जायेगा कि मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का पालना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना ओर नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना ओर नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
13. वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र०, वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो विभाग को उचित समय द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सभव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों की बाजार माव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पालन भी निषिद्ध है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. सिविल सोयम भूमिके ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत

2.309

होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू — संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक भारत के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. सिविल सोयम भूमिका वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च भारतों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित रूप से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

M.Joshi
(S.E)
अपर सहायक अधिकारी
पीठमण्डीपासवार्ड खण्ड लोगिनिंग
अल्मोड़ा

लहान सहायक अधिकारी
पीठमण्डीपासवार्ड, खण्ड लोगिनिंग
लोक नियमित्याग
लालगढ़ (अल्मोड़ा)

मुख्यमन्त्री अधिकारी
पीठमण्डीपासवार्ड, खण्ड लोगिनिंग
लालगढ़ (अल्मोड़ा)